



191/1

दूरभाष 2286709

2286710

नव चेतना केन्द्र, 10 अशोक मार्ग लखनऊ-226001

राज्य नगरीय विकास अभिकरण, उ.प्र.

पत्रांक : 1063 / 05 / 76 / एक / 2016-17

दिनांक : 22 जून 2016

सेवा में,

जिलाधिकारी/अध्यक्ष,
जिला नगरीय विकास अभिकरण
जनपद-गाजियाबाद।

विषय : वित्तीय वर्ष 2016-17 में सूडा द्वारा आपके जनपद (डूडा) को अल्पसंख्यक बाहुल्य बस्तियों तथा मलिन बस्तियों में स्वीकृत परियोजनाओं की धनराशि का प्रेषण।

महोदय,

अभिकरण द्वारा वित्तीय वर्ष 2016-17 में आपके जनपद को शहरी क्षेत्रों की अल्पसंख्यक बाहुल्य बस्तियों तथा मलिन बस्तियों में इण्टरलाकिंग, नाली निर्माण व अन्य सामान्य सुविधाओं की स्थापना योजना हेतु (अनुदान संख्या-37/83) में निम्नलिखित विवरण के अनुसार धनराशि अवमुक्त की जा रही है:-

धनराशि का प्रेषण (लाख ₹0 में)			
सिलिकेट बैंक	85562010120829	IFSC Code SYNB0008556	92 717

(धनराशि लाख ₹0 में)

क्र० सं०	जनपद का नाम	अल्पसंख्यक/मलिन	निकाय का नाम	बस्ती/वार्ड का नाम	द्वितीय किश्त की धनराशि का प्रेषण
1	गाजियाबाद	मलिन बस्ती-83 बजट	न०नि० गाजियाबाद	आदर्श नगर भाग-1 में शंकर के मकान से लाल सिंह के घर तक, रामचन्द्र के घर से बब्लू के घर, सुरेश के घर से सुरेन्द्र के घर, सुरेन्द्र के घर से दिनेश के घर तक, धर्मसिंह के घर से लक्ष्मी के घर तक एवं शंकर के मकान से धर्मसिंह के मकान तक इण्टरलाकिंग सड़क व नाली निर्माण कार्य।	12.195
2	गाजियाबाद	मलिन बस्ती-83 बजट	न०नि० गाजियाबाद	शान्ति नगर भाग-1 में कन्हैयालाल के मकान से संजय के मकान, संजय के मकान से शीशपाल के मकान, संजय के मकान से चन्दन के मकान, धर्मी के मकान से बब्लू के मकान, आनन्द के मकान से सुनील के मकान, शिवगिरी के मकान से डोरी सिंह के मकान, सुनील के मकान से मनोज के मकान, सुबोध के मकान से रूप राम के मकान, विरपाल के मकान से महेन्द्र के मकान तक एवं महेन्द्र के मकान से मन्दिर तक इण्टरलाकिंग सड़क व नाली निर्माण कार्य।	9.961
3	गाजियाबाद	मलिन बस्ती-83 बजट	न०नि० गाजियाबाद	शान्ति नगर भाग-2 में भोपाल के मकान से योगेश के मकान, धीरेन्द्र के मकान से रीयल स्कूल मकान तक, अर्जुन के मकान से सुरेश के मकान तक, सुरेश के मकान से आश्रम तक, सुरेश के मकान से सुबोध के मकान तक, आनन्द के मकान से देवेन्द्र के मकान तक, रामसिंह के मकान से मनोहर के मकान, श्रीचन्द्र के मकान से लक्ष्मण के मकान, मानसिंह के मकान से मुकेश के मकान तक इण्टरलाकिंग सड़क व नाली निर्माण कार्य।	10.442
4	गाजियाबाद	मलिन बस्ती-83 बजट	न०नि० गाजियाबाद	सुदामापुरी विजयनगर भाग-1 में मकसूद के मकान से बब्लू के मकान तक, गणेश के मकान से सुरेश के मकान तक, गणेश के मकान से अशोक के मकान तक, हैदर के मकान से ओगप्रकाश के मकान तक, शविर के मकान से	12.916



191/2

दूरभाष 2286709

2286710

नव वेतना केन्द्र 10 अशोक मार्ग, लखनऊ-226001

राज्य नगरीय विकास अधिकरण, उ.प्र.

क्र० सं०	जनपद का नाम	अल्पसंख्यक/मलिन	निकाय का नाम	बस्ती/वार्ड का नाम	द्वितीय किस्त की धनराशि का प्रेषण
5	गाजियाबाद	मलिन बस्ती-83 बजट	न०नि० गाजियाबाद	रामू के मकान तक एवं तसीम के मकान से जाहिद के मकान तक इण्टरलाकिंग सड़क व नाली निर्माण कार्य। सुदामापुरी विजयनगर भाग-2 में पप्पू के मकान से भाटी के मकान तक, इसरार के मकान से जफार के मकान तक, रोशन लाल के मकान से पंकज के मकान तक, जितेन्द्र के मकान से जगदीश के मकान तक, आलम के मकान से अशोक के मकान तक, अरुण के मकान से गजेन्द्र के मकान तक एवं हरि के मकान से चरण के मकान तक इण्टरलाकिंग सड़क व नाली निर्माण कार्य।	14.005
6	गाजियाबाद	मलिन बस्ती-83 बजट	न०पा०प० लोनी	रामविहार, लोनी भाग-1 में राजपाल के मकान से उमाशंकर के मकान तक, समाधी वाली गली में एवं कमल मार्केट से जगरोशन जाटव के मकान तक इण्टरलाकिंग सड़क व नाली निर्माण कार्य।	7.651
7	गाजियाबाद	मलिन बस्ती-83 बजट	न०पा०प० लोनी	राम विहार, लोनी भाग-2 में रमेश के मकान से पिन्टू के मकान तक, सतपाल के मकान से राजू के मकान तक, सुभाष के मकान से सुनील के मकान तक एवं शनि बाजार से अशोक के मकान तक इण्टरलाकिंग सड़क व नाली निर्माण कार्य।	14.874
8	गाजियाबाद	मलिन बस्ती-83 बजट	न०पा०प० लोनी	न्यू विकास नगर (सुन्द नगर) भाग-3 में जयप्रकाश के मकान से विनेशके मकान तक, स्कूल वाली गली में भगवान के मकान से अर्जन के मकान तक, प्रवीन के मकान से जगगोहन के मकान तक, प्रवीन के मकान से श्रीपाल के मकान तक, वीरेन्द्र के मकान से जगदीश के मकान तक एवं गजेन्द्र के मकान से ओमकार के मकान तक इण्टरलाकिंग सड़क व नाली निर्माण कार्य।	10.673
	योग				92.717

उपरोक्त अवमुक्त धनराशि का व्यय शहरी क्षेत्रों की अल्पसंख्यक बाहुल्य बस्तियों तथा मलिन बस्तियों में सी०सी० रोड अथवा इण्टरलाकिंग, नाली निर्माण व अन्य सामान्य सुविधाओं की स्थापना योजनान्तर्गत निम्न दिशा निर्देशों के अनुसार ही किया जाये -

- 1- उ०प्र० सरकार के द्वारा जारी शासनादेशों के अनुरूप शहरी क्षेत्रों की अल्पसंख्यक बाहुल्य बस्तियों तथा मलिन बस्तियों में सी०सी० रोड अथवा इण्टरलाकिंग, नाली निर्माण व अन्य सामान्य सुविधाओं की स्थापना योजना हेतु स्वीकृत डी०पी०आर०/परियोजना के अनुसार कार्य कराया जाये। प्रत्येक कार्य आरम्भ होने के पूर्व एवं कार्य समाप्त होने के पश्चात फोटोग्राफ प्रत्येक दश में सम्बन्धित पत्रावली में रखा जाये।
- 2- स्थानीय स्तर पर जो भी कार्य कराये जायें उनकी सूचना सम्बन्धित नगर निकाय एवं अन्य विभागों से समन्वय स्थापित कर और सूचना देकर सुनिश्चित कर लिया जाये ताकि एक ही कार्य दो विभागों द्वारा टेकअप न कर लिया जाये।
- 3- प्रश्नगत परियोजना में प्रस्तावित कार्य आरम्भ करने से पूर्व परियोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति आवश्यक प्राप्त कर ली जाये तत्पश्चात ही कार्य आरम्भ कराया जाये।
- 4- अवमुक्त की जा रही धनराशि के सापेक्ष यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि परियोजनान्तर्गत कार्य हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा किसी अन्य श्रोत्र से धनराशि स्वीकृत नहीं की गई है तथा न ही यह कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित है जिससे कि शासकीय धन का दुरुपयोग न होने पाये, अन्यथा की स्थिति में प्रश्नगत धनराशि तत्काल अभिकरण मुख्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
- 5- स्थानीय स्तर पर जो भी परियोजनायें या कार्य कराये जायें उनमें पारदर्शिता के साथ गुणवत्ता सुनिश्चित की जाये एवं राज्य सरकार/स्थानीय विधि/नियम एवं पर्यावरणीय बाध्यता के अन्तर्गत यदि कोई स्वीकृत/अनापत्ति अन्य विभागों से लेना हो तो, सुनिश्चित किया जाये।



19/3

दूरनाम 2286709

2286710

नव चेतना केन्द्र, 10 अशोक मार्ग, लखनऊ 226001

राज्य नगरीय विकास अभिकरण, उ.प्र.

- 6- प्रश्नगत परियोजनाओं में स्वीकृत की गयी धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुरितका के सुसंगत प्राविधानों के अन्तर्गत निर्माण कार्य सम्पादित कराते हुये किया जाये।
- 7- परिसम्पत्तियों के सृजन उपरान्त समय से उन्हें सम्बन्धित नगर निकायों को हस्तान्तरित कर दिया जाये ताकि भविष्य में समुचित रख-रखाव में कोई बाधा उत्पन्न न होने पाये। इसके लिये आवश्यक है कि परिसम्पत्तियों के सृजन के पूर्व ही स्थानीय निकायों से तदाशय की सहमति ले ली जाये।
- 8- योजनान्तर्गत अवमुक्त की जा रही धनराशि का उपयोग वित्तीय वर्ष 2016-17 में अवश्य करा लिया जाये तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र अथवा अवशेष धनराशि अभिकरण को प्रत्येक दशा में उपलब्ध करायी जायें। निर्धारित अवधि के उपरान्त उपयोगिता प्रमाण पत्र/अवशेष धनराशि अभिकरण को नहीं प्राप्त होती है तो शासन द्वारा निर्धारित ब्याज अवमुक्त की गई धनराशि पर देय होगा।
- 9- उक्त धनराशि डूडा द्वारा इस योजना के अन्तर्गत निर्धारित शर्तों/योजना के प्रतिबन्धों के अनुसार निहित मद में व्यय की जायेगी एवं स्वीकृत परियोजनान्तर्गत कार्य कमशः इस प्रकार कराये जायें कि वे प्रश्नगत उपलब्ध धनराशि से ही समय से पूर्ण हो जायें।
- 10- प्रश्नगत परियोजना में भुगतान के पूर्व यथानियम केन्द्र, राज्य व स्थानीय करों की स्रोत पर कटौती सम्बन्धी अनिवार्य विधिक प्रतिबन्धों के अनुपालन का ध्यान रखा जायेगा एवं निर्माण में गुणवत्ता के निर्धारित मानकों का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जायेगा।
- 11- अवमुक्त की जा रही धनराशि का उपयोग उसी परियोजन के लिये किया जायेगा जिसके लिये वह स्वीकृत की गई है। किसी प्रकार का व्ययवर्तन अनुमन्य न होगा, शासन द्वारा अवमुक्त की गई धनराशि के कम में धनराशि जनपद को अवमुक्त की जा रही है। उपरोक्त अंकित कार्यों में यदि कार्य/धनराशि की देरावृत्ति हो रही हो तो उसकी सूचना अभिकरण मुख्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। अन्यथा की स्थिति में जनपद के सम्बन्धित अधिकारी संयुक्त रूप से उत्तरदायी होंगे।
- 12- शासन द्वारा उक्त परियोजना में आगणन के सापेक्ष द्वितीय किस्त की धनराशि अवमुक्त की गई है जिसमें अनुमन्य सेन्टेज की धनराशि एवं द्वितीय किस्त में 10 प्रतिशत की धनराशि रोककर शेष धनराशि अवमुक्त की जा रही है। उक्त धनराशि के सापेक्ष नियमानुसार गुणवत्तापरक कार्य सम्पादित कराते हुये उपयोगिता प्रमाण पत्र व्यय की गई धनराशि के सापेक्ष मौक्तिक प्रगति सहित निर्धारित प्रपत्र पर सूचना अभिकरण को शीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें जिससे रोकी गयी धनराशि को अवमुक्त किया जा सके।

भवदीय,

(लाल प्रताप सिंह)
वित्त नियन्त्रक

पत्रांक एवं दिनांक तदैव

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित।

1. परियोजना निदेशक, जिला नगरीय विकास अभिकरण, सम्बन्धित जनपद।
2. परियोजना अधिकारी, सूडा।।
3. अधि० अभियन्ता-सूडा
4. कम्प्यूटर रोल/लेखा विभाग-सूडा।

(लाल प्रताप सिंह)
वित्त नियन्त्रक